

Application in case of SC/ST person migrating from one union territory/state

Annexure-III

3. Application in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Persons who have migrated from one State/Union Territory

This certificate is issued on the basis of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Smt/Kum* Father/Mother of Shri /Smt./Kum In District/Division* Of State/Union Territory..... who belongs to the Caste/Tribe*which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in State/Union Territory* issued by the (name of prescribed authority) vide their No. dated

3. Shri/Smt/Kum*..... and of his/her * family ordinarily reside(s) in village/town* of District/ Division* of State/Union Territory of place State/Union Territory Signature Date Designation (with seal of office)

(*) Please delete the words which are not applicable

Please quote specific presidential offer (*). Delete the Paragraph which is not applicable.

Note: The term* Ordinarily resides* used will have the same meaning as in Section 30 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

परिशिष्ट-III

उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के मामले में आवेदन-पत्र जो एक राज्य/संघ शासित प्रदेशों से अन्यत्र विस्थापित हुए हैं.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कु., जो कि श्री/श्रीमती/कु. के पिता/माता हैं, गाँव/कस्बा जिला/संभाग राज्य/संघशासित प्रदेश * के हैं और जाति/जनजाति * से संबंधित हैं जिसे राज्य संघशासित प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं.

जारीकर्ता (निर्धारित अथारिटी का नाम) द्वारा पत्र सं० दिनांक
..... के तहत.

3. श्री/श्रीमती/कु. और उसका परिवार साधारणतः..... गाँव/कस्बे.....
..... जिले/डिवीजन राज्य में निवास करता है.

स्थान, राज्य/संघशासित प्रदेश, तिथि हस्ताक्षर पदनाम (कार्यालय मुहर)

(*) जो शब्द लागू न हों कृपया उन्हें काट दें. कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेशों का उल्लेख करें (*), उस पैराग्राफ को काट दें जो लागू न हो.

टिप्पणी : "साधारणतः निवासी" का अर्थ यहाँ वही है जैसा कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 30 में उल्लिखित है.